न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :– कविता गोदारा, आर0ए0एस0

वाद पत्र सं :: 47/2024
जीसीएमएस सं0 :: 2024/81

राममूर्ति कंवर पत्नी गजेन्द्र सिंह उम्र 47 वर्ष जाति राजपूत नि0 ग्राम सुजावास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर। राज0।

– वादीनी,

बनाम

1. कमला मीणा पत्नी गिरधारीलाल जाति मीणा निवासीनी ग्राम सुजावास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर ।राज0।
2. पंजाब नेशनल बैंक शाखा रानोली जरिये शाखा प्रबन्धक।
3. पटवारी हल्का सुजावास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज0।
4. उप पंजीयक, पलसाना।
5. तहसीलदार, दांतारामगढ़।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :–.1. श्री मनोज भार्गव, वकील वादीनी की ओर से।
2. ,, गणपतलाल, प्रति0सं0 1,

दावा बाबत बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा अं0 धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

निर्णय दिनांक :: 16.01.2026

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि कृषि भूमियां ख0नं0 38/1085 रकबा 0.0600 है0 ख0नं0 40 रकबा 0.3600 है0 ख0नं0 41 रकबा 0.0400 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.4600 है0 वाके ग्राम सुजावास प0ह0 सुजावास तह0 दांतारामगढ़ जिलासीकर की तन में अवस्थित है। वादग्रस्त भूमियों में वादनी का राजस्व रिकॉर्ड में 7/12 हक हिस्सा की रिकॉर्डेड खातेदारी के अनुसार कब्जाकाश्त है तथा प्रतिवादनी सं0 1 का 5/12 हक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज चली आ रही है। वादनी एंव प्रतिवादनी अपनी–अपनी दर्ज खातेदारी के अनुसार काकबिज काश्त करती चली आ रही है तथा वादग्रस्त भूमियों का काफी वर्षो पूर्व ही पक्षकारों के मध्य बाहमी विभाजन के अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। उसी के अनुसार वादनी भी अपने खरीद शुदा हक हिस्से पर पक्की तारबंदी करके काबिज काश्त है। वादनी एंव प्रतिवादनी का विवादित भूमि के मौके पर विभाजन हो रखा है। राजस्व रिकॉर्ड में विभाजन नहीं होने की वजह से वादनी को कब्जे काश्त में काफी परेशानी हो रही है तथा वादनी को प्राप्त होने वाले सरकारी लाभ से भी वंचित होना पड़ रहा है। वादनी अपनी रिकार्डेड खातेदारी की कृषि भूमि का बाई मिट्स एंड बाउण्डस करवाने के हक अधिकारी है। वादनी से प्रतिवादनी सं0 1 कुछ से से नाराज चल रही है, जिसकी वजह से प्रतिवादनी सं0 1 आये दिन झगडा फंसाद करती रहती

है। वादनी ने प्रतिवादनी को बंटवारे कराने के लिए कहा तो पहले तो आश्वासन देते रहे। परन्तु वादनी ने बंटवारे के लिए जोर देकर कहा तो प्रतिवादनी सं0 1 साफ–साफ इंकार हो गयी। प्रतिवादनी सं0 1 बदमाश किस्म के लोगों के संपर्क में है तथा वह भूमाफिया गिरोह के व्यक्तियों से मिली हुई है। प्रतिवादनी बिना बंटवारा कराये विक्रय करने पर आमादा है, जिनका उनको कोई हक, अधिकार नहीं है। वादनी ने प्रतिवादनी को बंटवारा करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादनी सं0 1 द्वारा बंटवारा कराने से साफ इंकार हो गये और कहा कि हम तो बिना बंटवारा कराये ही भूमियों को विक्रय करेगे। खाता संयुक्त होने के कारण वादनी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए विवादित भूमियों का बाई मिट्स एंड बाउन्डस विधिवत रूप से बंटवारा किया जाना उचित आवश्यक एंव न्यायसंगत है। वादीनी ने वाद पत्र पेश कर वाद की मद सं0 11 की उप मद क,ख,ग,घ अनुसार वाद डिक्री करने हेतु निवेदन किया है।

वाद–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रति0सं0 2 से 5 बावजूद रजिस्टर्ड तामील उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई गई। प्रति0सं0 1 जरिये वकील उपस्थित आये। वकील उभय पक्ष द्वारा प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किये जाने पर वाद में दिनांक 10.10.25 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार, दांतारामगढ़ से विभाजन प्रस्ताव चाहे जाने पर उनके द्वारा जरिये पत्रांक भू0अ0/25/7149 दिनांक 29.10.25 से बंटवारा प्रस्ताव भिजवाया जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एंव रिपोर्ट तहसीलदार, दांतारामगढ़ से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रश्नगत भूमियां संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियां है। वकील उभय पक्ष के निवेदन पर बहस सुनी जाकर दिनांक 10.10.2025 को पत्रावली में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार, दांतारामगढ़ से प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव चाहे जाने पर तहसीलदार, दांतारामगढ़ ने जरिये पत्रांक भू0अ0/25/7149 दिनांक 29.10.25 से बंटवारा प्रस्ताव भिजवाया गया। चूंकि उभय पक्ष की सहमति से प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार, दांतारामगढ़ से मंगवाये गये है तथा पुनः बहस के दौरान तहसीलदार, दांतारामगढ़ द्वारा भिजवाये गये बंटवारा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्री जारी करने हेतु अपनी सहमति प्रकट की गई।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादनी मुताबिक तहसीलदार, दांतारामगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार स्वीकार कर फाईनल डिक्री जारी की जाती है कि कृषि भूमि ख0नं0 38/1085 रकबा 0.0600 है0 ख0नं0 40 रकबा 0.3600 है0 ख0नं0 41 रकबा 0.0400 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.4600 है0 वाके ग्राम सुजावास प0ह0 सुजावास तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर में निम्न प्रकार वादनी एंव प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैः–

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

...पेश किया जावे,

क. स.	नाम खातेदार	ख0 नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1.	1. कमला मीणा पत्नि गिरधारी हिस्सा संपूर्ण जाति मीणा सा0 देह खातेदार	40/2	0.15	बा0 2	0.60
		किता 1	0.15	—	0.60
2.	2. राममूर्ति कंवर पत्नि गजेन्द्र सिह हिस्सा संपूर्ण जाति राजपूत सा0 देह राहीन पी0एन0बी0 राणोली	40/1	0.21	बा0 2	0.84
		किता 1	0.21	—	0.84
3.	1. कमला मीणा पत्नि गिरधारी लाल हि0 5/12 जाति मीणा सा0 देह 2. राम मूर्ति कंवर पत्नि गजेन्द्र सिंह हि0 7/12 जाति राजपूत सा0 देह राहीन पी0एन0बी0 राणोली	38/1085 41	0.06 0.04	गै0 मु0 गै0 मु0	रास्ता रास्ता
		किता 2	0.10	—	—

तहसीलदार, दांतारामगढ़,सीकर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करावे। तहसीलदार, दांतारामगढ़ द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू0अ0/25/7149 दिनांक 29.10.25 निर्णय का भाग रहेगा। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

कविता गोदारा
(R.A.S.)
सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

निर्णय आज दिनांक 16.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

कविता गोदारा
(R.A.S.)
सहायक कलक्टर (मु0) सीकर